प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात
दिनांक- 02.11.2025

- **थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा टप्पेबाजी की विभिन्न घटनाएं कारित करने वाले वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से पीली धातू के आभूषण, मोबाइल फोन व नकदी बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुये थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा दिनांक 01.11.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर वांछित अभियुक्त इस्माइल पुत्र हसन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जल्लापुर सिकन्दरा, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात को समय करीब 19.20 बजे हाइवे से ग्राम गदाईखेडा जाने वाले रोड से करीब 100 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/2025 धारा 318(4) बीएनएस से सम्बन्धित पीली धातू के आभूषण (01 जोड़ी कान की बाली, 01 पेंडेंट) व एक की-पैड मोबाइल फोन तथा थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 228/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. से सम्बन्धित ₹ 6000 नकद और थाना सट्टी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/25 धारा 318(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित ₹ 5000 नकद बरामद हुए। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 376/2025 में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने बताया कि दिनांक 28.10.2025 को दोपहर लगभग 01.00 बजे मैं अपने साथी मासूम रजा पुत्र गुलाम कादिम उर्फ सफीक निवासी ग्राम मटियामऊ थाना अकबरपुर कानपुर देहात के साथ थाना भोगनीपुर क्षेत्रान्तर्गत देवीपुर हाइवे स्थित ग्राम मोहम्मदपुर के पास खेतो में कार्य कर रही बुजुर्ग महिला के साथ सोना डबल करने की बात कहकर महिला के पहने कान की बाली व मगंलसूत्र उतरवा लिया था व महिला को गुमराह कर, कुछ देर में सोना हो जायेगा कहकर मौके से भाग गये थे। मेरे पास से जो कान की बाली व मंगलसूत्र मिला है वो देवीपुर के पास की गयी घटना में एक महिला का है। पूछताछ में बताया कि दिनांक 12/08/2025 को थाना शिवली के मैथा क्षेत्र के हथिका-खखरा के पास मैंने व मासूम रजा ने एक महिला के साथ सोना-चाँदी व धन को डबल करने की बात बोलकर टप्पेबाजी की गयी थी। मैथा क्षेत्र में की गयी टप्पेबाजी के आभूषण आने-जाने रहागीरों को बेचकर मासूम रजा और मेरे हिस्से में 45000-45000 रुपये आये थे व इसी तरह की घटना दिनांक 06-10-2025 को मेरे व रजा द्वारा थाना सट्टी के ग्राम अफसरिया के पास हाइवे के पास एक बूढ़ी महिला को बातों में उलझाकर कान के बाले को साफ करने का बहाना बनाकर टप्पेबाजी की गयी थी व बूढ़ी महिला के कान के बाले लेकर भाग गये थे। कान के बालों को मासूम रजा व मेरे द्वारा आने जाने वाले राहगीर को

20000 रुपये में बेच दिया था जिसमें रजा व मेरे हिस्से में 10000-10000 हजार रुपये आये थे। आज मैं व मेरा साथी मासूम रजा फिर से भोगनीपुर क्षेत्र में टप्पेबाजी करने आये थे कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

इस्माइल पुत्र हसन उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम जल्लापुर सिकन्दरा, थाना राजपुर, जनपद कानपुर देहात,

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 376/2025 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0स0 228/25 धारा 318(4) बी.एन.एस थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,
3. मु0अ0स0 38/25 धारा 318(2) बी.एन.एस थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात,
4. मु0अ0सं0 46/2019 धारा 279/337/338/427 थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,
5. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 34/323/504/506 भादवि थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात,
6. मु0अ0सं0 297/2022 धारा 392/411 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया,
7. मु0अ0सं0 150/2022 धारा 379/411 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया,
8. मु0अ0सं0 203/2022 धारा 328/392/411 भादवि थाना औरैया जनपद औरैया,
9. मु0अ0सं0 547/2022 धारा 411/420 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया,

बरामदगी का विवरण-

1. पीली धातू आभूषण (01 जोड़ी कान की बाली, 01 पेन्डेंट) व एक की-पैड मोबाइल फोन,
2. ₹ 11,000 नकद,

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस